[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

**भारत सरकार**

**पर्यावरण और वन मंत्रालय**

**नई दिल्ली, तारीख, 22 अगस्त, 2013**

## अधिसूचना

का. आ. 2557(ई).- केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्तू अधिसूचना कहा गया है ) द्वारा कतिपय तटीय क्षेत्रों को तटीय द्वीप क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों के विस्तारर, उद्योग स्थापित करने और उनके प्रचालन और प्रंसस्करण पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे ;

और उक्ता अधिसूचना के पैरा 5 के खंड (vi ) के अनुसार तटीय राज्यों् और संघ राज्योंक को उक्ता अधिसूचना के जारी होने की तारीख से चौबीस मास की अवधि के भीतर प्रारूप सीजैडएमपी तैयार करना है ;

और तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं (सीजैडएमपी) की तैयारी की स्थि ति का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन राष्ट्रीयय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यह नोट किया गया है कि सीजैडएमपी की तैयारी प्रगति पर है और राज्यों् और संघ राज्यग-क्षेत्रों को अनुमोदन के लिए प्रारूप सीजैडएमपी प्रस्तुित करने में और समय लग सकता है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि उपनियम (3) में अंतर्विष्टर किसी बात के होते हुए भी जब केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना समिचीन है यह पूर्वोक्त नियमों के उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्तित दे सकेगी ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्तक अधिसूचना का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (5) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जानी चाहिए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29 ) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 में—

(क) मद (vi i i ) के स्थाान पर निम्नअलिखित मद रखी जाएगी, अर्थाात्

"(vi i i ) राज्यद सरकार या संघ राज्य्क्षेत्र सीजैडएमए, पणधारियों से प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को शामिल करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय को सीजैडएमपी पर अपनी सिफारिशों सहित प्रारूप सीजैडएमपी 30 सितंबर, 2013 को या उससे पूर्व सौंपेंगे ;";

(ख) मद (xi i ) के स्थाोन पर निम्न लिखित मद रखी जाएगी, अर्थाात्

(xi i ) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पूर्व अनुमोदित सीजैडएमपी का उपयोग 31 जनवरी, 2014 तक किया जाएगा । "

[सं0-11-83/2005-आईए.।।।]

(मनिन्दर सिंह)

संयुक्तन सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण** –(1) मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i i ) में का. आ. सं. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी

(2) राज्यव सरकारों/संघ राज्यधक्षेत्रों को प्रारूपसीजैडएमपी पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुरत करने के लिए दी गई समय सीमा 4 जुलाई, 2013 तक वैध थी और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सीजैडएमपी 5 जनवरी, 2013 तक वैध थे । सीजैडएमपी की वैधता को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यिक्तन जिसको यह नियम लागू होंगे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India

Ministry of Environment and Forests

New Delhi, the 22nd August, 2013

NOTIFICATION

S.O. 2557 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.19 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain coastal stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas as per clause (vi) of paragraph 5 of the said notification, the coastal States and Union territories have to prepare draft CZMPs within a period of twenty four months from the date of issuance of the same;

And whereas the status of preparation of the Coastal Zone Management Plans (CZMPs) have been periodically reviewed by the National Coastal Zone Management Authority and noted that the preparation of CZMPs are in progress and it may take further time for the States and Union territories to submit the draft CZMPs for approval;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule 5 of the aforesaid rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 5:-

(a) for item (viii), the following item shall be substituted, namely:-

"(viii) The State Government or Union Territory CZMA shall submit the draft CZMPs to MoEF along with its recommendations on the CZMP on or before the 30th September, 2013, after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;";

(b) for item (xii), the following item shall be substituted, namely:-

(xii) The CZMPs already approved by the MOEF shall be used till 31st January, 2014."

[No. 11-83/2005-IA.III]

Maninder Singh
Joint Secretary to the Government of India

Note: (1) The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011.

(2) The period of time limit granted to the State Governments/Union territory to submit the draft CZMPs to MoEF was valid till 4th July, 2013 and the CZMPs approved by the Ministry of Environment and Forests were valid till 5th January, 2013. It is certified that extending the time limit to submit the draft CZMPs and also extending the validity of the CZMPs with retrospective effect shall not prejudicially effect the interest of any person to whom such notification may be applicable.